उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1976}

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT ACT, 1976

[U. P. Act No. 6 of 1976]

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976[1]

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1976}

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 1 अप्रैल, 1976 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 6 अप्रैल, 1976 की बैठक में स्वीकृत किया।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद के 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 अप्रैल, 1976 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट मे दिनांक 3 अप्रैल, 1976 को प्रकाशित हुआ}

राज्य में कतिपय क्षेत्रों का औद्योगिक और पौर क्षेत्र के रूप में विकास करने के लिए प्राधिकारों का गठन करने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं

2–– इस अधिनियम में –

(क) ''सुविधा'' के अन्तर्गत सड़क, जल–सम्मरण, सड़क पर रोशनी, विद्युत सम्भरण, सीवर व्यवस्था, जलोत्सारण, औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ और नगर के कूड़ा–करकट का संग्रह, शोधन और निस्तारण और ऐसा अन्य सामुदायिक सौकर्य, सेवा या सुविधा है जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

(ख) ''प्राधिकारी'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी से है;

(ग) ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी'' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त अधिकारी से है;

(घ) ''औद्योगिक विकास क्षेत्र'' का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा क्षेत्र घोषित करे;

(ङ) ''अध्यासी'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है (जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है) जिसके अध्यासन में औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर कोई स्थल या भवन है और 'अध्यासी' के अन्तर्गत उसका उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है ;

(च) ''अन्तरिती'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है (जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, भी सम्मिलित है।) जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति से भूमि या भवन अन्तरित किया जाय और 'अन्तरिती' के अन्तर्गत उसका उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है;

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट दिनांक 16 अप्रैल, 1976 देखिए।

(छ) शब्द और पदावलि ''भवन'', ''विकास'', ''भवन के परिनिर्माण' और ''भूमि'' के वही अर्थ होंगे, जो उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973 में उनके लिये दिये गये है।

3–– (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, किसी औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिये प्राधिकारी का गठन कर सकती है, जिसे ''(क्षेत्र का नाम) औद्योगिक विकास प्राधिकारी'' कहा जायगा। प्राधिकारी का गठन

(2) प्राधिकारी एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्राधिकारी में निम्नलिखित होंगे :–

(क) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद के नीचे का न हो– पदेन — सदस्य–अध्यक्ष

(ख) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो– — सदस्य

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, स्वायत्त शासन विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो– — सदस्य

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो – पदेन — सदस्य

(ङ) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम– — पदेनसदस्य

(च) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नाम–निर्दिष्ट पांच सदस्य– — सदस्य

(छ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी — सदस्य सचिव

(4) प्राधिकारी का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकर अधिसूचित करे।

(5) प्राधिकारी के बैठक के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय,।

(6) प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही प्राधिकारी में किसी रिक्ति के होने से या उसके गठन में किसी त्रुटि के होने से अविधिमान्य न होगी।

4–– (1) प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा और वह प्राधिकारी का एक पूर्णकालित अधिकारी होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकारी की निधि से ऐसा वेतन और भत्ता पाने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा, जैसी राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जायें।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जैसा विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्राधिकारी द्वारा उसे प्रतिनिहित किया जाय।

5–– (1) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जायं, प्राधिकारी उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, जितने उसके कृत्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक हों, और उनकी श्रेणी और पदाभिधान अवधारित की सकता है। प्राधिकारी के कर्मचारियों को बन्द

(2)उपर्युक्त के अधीन रहते हुए प्राधिकारी के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकारी की निधि से ऐसा वेतन और भत्ता पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे, जिस पर प्राधिकारी के साथ सहमति हो।

6–– (1)प्राधिकारी का उद्देश्य औद्योगिक विकास क्षेत्रों का सुनियोजित विकास प्राधिकारी के कृत्य

सुनिश्चित करना होगा।

(2)प्राधिकारी का उद्देश्य की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा : –

(क) औद्योगिक विकास क्षेत्र में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये करार द्वारा या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कार्यवाही के माध्यम से भूमि अर्जित करना ;

(ख) औद्योगिक विकास क्षेत्र के विकास के लिये योजना तैयार करना;

(ग) योजना के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यक और आवासीय प्रयोजनों के लिये स्थलों का सीमांकन और विकास करना ;

(घ) औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिये अनुरचना की व्यवस्था करना ;

(ङ) सुविधा की व्यवस्था करना;

(च) औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिये प्लाट का विक्रय या पट्टा द्वारा या अन्य प्रकार से आवंटन और अन्तरण करना;

(छ) भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना;

(ज) उस प्रयोजन को अर्थात् ऐसे क्षेत्र में, औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन को निर्धारित करना, जिसके लिये किसी विशिष्ट स्थल या प्लाट का उपयोग किया जायगा।

अनुरचना या सुविधा की व्यवस्था करने और फीस का संग्रह करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने की शक्ति

{6–क–– इस अधिनियम के किसी अन्य उपबनध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसे विनियमों में निर्दिष्ट किये जाय, प्राधिकारी, करार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अनुरचना या सुविधा की व्यवस्था करने या अनुरक्षण करने या व्यवस्था या अनुरक्षण को जारी रखने और उसके लिए कर या}1 उद्गृहीत, यथास्थिति कर या फीस का संग्रह करने के लिये, किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है।

{उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976} {धारा 7–9}

भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में प्राधिकारी की शक्ति

7–– प्राधिकारी औद्योगिक विकास क्षेत्र में प्राधिकारी की किसी भूमि या भवन, को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन बनायें जाने वाले किसी नियम के अधीन रहते हुए, आरोपित करना उचित समझे, नीलाम, आवंटन या अन्य प्रकार से, बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

भवन के परिनिर्माण के सम्बन्ध में निदेश निर्गत करने की शक्ति

8–– (1) औद्योगिक विकास क्षेत्र के समुचित नियोजन और विकास के प्रयोजनों के लिये प्राधिकारी निम्नलिखित के संबंध में ऐसे निदेश निर्गत कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे –

(क) किसी भवन के उत्सेध सा अग्र भाग का स्थापत्य स्वरूप;

(ख) किसी स्थल के भवनों का संरेखण;

(ग) भवनों में और उनके आप–पास रखे जाने वाले खुले स्थानों के बारे में और भवनों की ऊँचाई और उनके स्वरूप के बारे में निर्बन्धन और शर्ते ;

(घ) किसी स्थल पर परिनिर्मित किये जा सकने वाले आवासीय भवनों की संख्या;

(ड) दुकानों, कर्मशालाओं, गोदामों, कारखानों या भवनों के परिनिर्माण का विनियमन;

(च) दीवाल, घेरा, बाड़ा या किसी अन्य रचना या स्थापत्य निर्माण की ऊँचाई और स्थिति का अनुरक्षण;

(छ) सुविधा का अनुरक्षण;

(ज) जिस प्रयोजन के लिये स्थल आबंटित किया गया हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उसका उपयोग करने पर निर्बन्धन,

(झ) (1) उच्छिष्ट जल की समुचित निकासी;

(2) औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ के समुचित निस्तारण; और

(3) नगर के कूड़ा–करकट के समुचित निस्तारण की व्यवस्था किये जाने वाले साधन।

(2) प्रत्येक अन्तरिती उपधारा (1) के अधीन निर्गत निदेशों का पालन करेगा और

यथाशक्य शीघ्र किसी भवन का परिनिर्माण करेगा या ऐसे अन्य कदम उठायेगा, जो ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये आवश्यक हों।

9–– (1) कोई व्यक्ति, उपधारा (2) के अधीन बनाये गये किसी भवन सम्बन्धी विनियम का उल्लंघन करके औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी भवन का परिनिर्माण या अध्यासन नहीं करेगा।

विनियमों का उल्लंघन करके भवनों के परिनिर्माण पर रोक

(2) प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के भवनों के परिनिर्माण को विनियमित करने के लिये विनियम बना सकता है और ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :–

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1999 की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट।

(क) किसी भवन की वाहय और विभाजक, दीवाल, छत, फर्श और अन्य भाग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री और उनकी स्थिति या अवस्थिति या निर्माण की रीति;

(ख) भवन की विन्यास योजना चाहे वह औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय हो,

(ग)आवास या रसोईघर के प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए आशयित किसी भवन की छत और फर्श की ऊँचाई और ढाल;

(घ) वायु संचालन को सुनिश्चित करने और अग्नि से रोक–थाम के लिए किसी भवन या उसके भाग में वातायन या उसके पास छोड़ी जाने वाली जगह;

(ङ) किसी भवन की मंजिलों की संख्या और उनकी ऊँचाई;

(च) किसी भवन में प्रवेश और उससे निर्गम की व्यवस्था हेतु साधन;

(छ) रहने के कमरे और सोने के कमरे के रूप में उपयोग के लिये आशयित कमरों की न्यूनतम लम्बाई–चौड़ाई और वातायन और व्यवस्था;

(ज) भवनों के परिनिर्माण, समापन और अध्यासन के समुचित विनियमन को अग्रसर करने के लिए कोई अन्य विषय;

(झ) प्रमाण–पत्र जो योजना, संशोधित योजना और समापन आख्या को प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक और आनुषंगिक हों।

10–– यदि प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी स्थल या भवन की दशा या समुचित उपयोग से औद्योगिक विकास क्षेत्र के किसी भाग के समुचित आयोजन पर या सुविधा पर या वहां सामान्य जनता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने की सम्भावना है तो वह उस स्थल या भवन के अन्तरिती या अध्यासी पर नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर करे, जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट हो और उसके पश्चात् उसका अनुरक्षण ऐसी रीति से करे, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट हो और यदि उसके पश्चात् ऐसा अन्तरिती या अध्यासी ऐसी कार्यवाही करने या उसका अनुरक्षण करने में असफल रहता है तो प्राधिकारी स्वंय ऐसी कार्यवाही कर सकता है या उसका अनुरक्षण कर सकता है और उस पर उपगत व्यय ऐसे अन्तरिती या अध्यासी से वसूल कर सकता है।

स्थल या भवन का अनुरक्षण करने की अपेक्षा करने की शक्ति

11–– {(1) औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिये, प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे कर का उद्ग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के सम्बन्ध में आवश्यक समझें, उसके अन्तरिती या अध्यासी से कर सकता है, परन्तु कर का कुल भार ऐसे स्थल, जिसमें भवन का स्थल भी सम्मिलित है, के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

कर का उदग्रहण

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, पद 'बाजार मूल्य' का तात्पर्य निम्नलिखित से है :–

(क) विक्रय की दशा में, प्रतिफल की राशि; या

(ख) पट्टे की दशा में, प्रीमियम की राशि; या

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य की राशि, जो भी अधिक हो।}[1]

(2) यदि राज्य सरकार, लोक हित में आवश्यक या समाचीन समझे तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे अन्तरिती या अध्यासी या उसके किसी श्रेणी को उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीता कर से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है।

राष्ट्रपति अधिनियम 11,1973 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

12–– उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम, संख्या 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अध्याय 6 के धारा 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 और 58 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, प्राधिकारी पर इस अनुकूलन के साथ लागू होंगे कि–

(क) उपर्युक्त अधिनियम के प्रति किसी निर्देश का इस अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जायगा;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकारण के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा; और

(ग) प्राधिकारी के उपाध्यक्ष के प्रति किसी निर्देश को प्राधिकारी के मुख्य कार्य–पालक अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा।

शास्ति का आरोपण और बकाया की वसूली की रीति

13–– जहां कोई अन्तरिती किसी प्रतिफल धन या उसकी किस्त या प्राधिकारी द्वारा, किसी स्थल या भवन के अन्तरण के कारण देय किसी अन्य राशि या किसी पट्टा के सम्बन्ध में प्राधिकारी को देय किसी किराये का भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है या जहां कोई अन्तरिती या अध्यासी इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीता किसी फीस या कर का भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है, वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि बकाया राशि के अतिरिक्त, उस राशि से अनधिक धनराशि यथास्थिति, अन्तरिती या अध्यासी से शास्ति के रूप में वसूली की जायेगी।

अंतरण की शर्तों के उल्लंघन के लिए समपहरण

14–– (1) प्राधिकारी द्वारा किसी स्थल या भवन के अन्तरण के फलस्वरूप प्रतिफल–धन या उनके किसी किस्त के अशंदान की स्थिति में ऐसे अन्तरण की किसी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस प्रकार अन्तरित स्थल या भजन को पुनः ग्रहण कर सकता है और उसके सम्बन्ध में संदत्त सम्पूर्ण धन या उसके किसी भाग का, यदि कोई हो, समपहरण कर सकता है।

(2)जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी स्थल या भवन के पुर्नग्रहण का आदेश देता है, वहां कलेक्टर, उसके अधियाचन पर, उसका कब्जा उसे दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 वर्ष 1995 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

शास्ति

15–– (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियमों या धारा 8 के अधीन निर्गत किसी निर्देश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध–दोष होने पर जुर्माना से जो पांच हजार रूपए तक हो सकता है और सतत अपराध की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माना से दण्डनीय होगा, जो प्रथम अपराध के लिये सिद्ध–दोष होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें ऐसा अपराध के लिये सिद्ध–दोष होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें ऐसा अपराध पूर्ववत् जारी रहे, एक सौ रूपये तक हो सकता है।

प्रवेश आकद की शक्ति

16–– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, किसी व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में निम्नलिखित प्रयोजन के लिए सहायता सहित या रहित प्रवेश करने या उसे खोलने का प्राधिकार दे सकता है :–

(क) कोई जांच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करना या ऐसे भूमि या भवन का दागबेल;

(ख) निर्माणधीन कार्य का परीक्षण या सीवर या नाली के मार्ग का पता लगाना;

(ग) इस बात का पता लगाना कि किसी भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण स्वीकृति के बिना या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन दी गयी स्वीकृति का उल्लंघन करके किया जा रहा है या किया गया है, और ऐसी नाप लेना और कोई कार्य करना जो ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;

(घ) कोई अन्य कार्य करना, जो इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक हो :

परन्तु –

(1) इस प्रकार का कोई प्रवेश सूयोदय और सूर्यास्त के समय के बीच के सिवाय और अध्यासर को, या यदि कोई अध्यासी न हो तो भूमि या भवन के स्वामी की, युक्तियुक्त सूचना दिये बिना नहीं किया जायगा ;

(2) प्रत्येक दशा, में महिलाओं को, यदि कोई हों, भूमि या भवन के बाहर चले जाने का पर्याप्त अवसर किया जायगा;

(3) जिस भूमि या भवन में प्रवेश करना हो उसके अध्यासियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सदा सम्यक् ध्यान रखा जायगा, जहां तक कि उस प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जिसके लिए प्रवेश किया जाता है।

अधिनियम का अधिकारी प्रभाव

17–– किसी क्षेत्र को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन औद्योगिक विकास क्षेत्र घोषित किये जाने पर, ऐसे क्षेत्र को, यदि वह उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना, या किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी अन्य विकास योजना में सम्मिलित हो, ऐसी घोषणा के दिनांक से किसी ऐसी योजना के अलग समझा जायगा।

नियम बनाने की शक्ति

18–– राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

19–– (1) प्राधिकारी, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिकारी के कार्यकलाप के प्रशासन के लिए विनियम बना सकती है, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती, शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है :––

(क) प्राधिकारी की बैठक बुलाना और करना, वह समय और स्थान जब और जहां ऐसी बैठक होगी, ऐसी बैठक में कार्य–संचालन और उसमें गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या, जो आवश्यक हो;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति और कर्त्तव्य;

(ग) भवन के परिनिर्माण की अनुज्ञा के लिए आवेदन–पत्र रजिस्टर का प्रपत्र;

(घ) प्राधिकारी की सम्पत्तियों का प्रबंध;

(ङ) अपने कृत्यों के निर्वहन में उद्ग्रहण की जाने वाली फीस;

(च) ऐसे अन्य विषय, जिनकी विनियम में व्यवस्था की जाय।

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT ACT, 1976[1]

[U. P. ACT No. 6 OF 1976]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 1, 1976 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 6, 1976.

Received the assent of the Governor on April 16, 1976 under Article 200 of 'the Constitution of India', and was published in the Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary

dated April 3, 1976.]

AN

ACT

to provide for the constitution of an Authority for the development of certain areas in the State into industrial and urban township and for matters connected therewith;

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and Act, extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Area Development 1976.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh,

Definitions

2. In this Act-

(a) "amenities" includes roads, water supply, street lighting, power supply, sewerage, drainage, collection, treatment and disposal of industrial waste und town refuse and such other community facilities, services or conveniences as the State Government may, by notification, specify to be an amenity for the purposes of this Act;

(b) "Authority" means the Authority constituted under section 3 of the Act;

(c) "Chief Executive Officer" means the officer appointed as such under section 4;

(d) "Industrial development area" means an area declared as such by the State Government by notification;

(e) "Occupier" means a person (including a firm or body of individuals whether incorporated or not) who occupies a site or building within the industrial development area and includes his successors and assigns ;

(f) "transferee" means a person (including a film or other body of individuals, whether incorporated or not) to whom any, land or building is transferred in any manner whatsoever, under this Act and includes his successors and assigns ;

dated April 16, 1976.

(g) the words and expressions "building", "development" to erect a building" and "land" shall have the same meaning as assigned to them in the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

Constitution of all Authority Authority,

3. (1) The State Government may, by notification, for the purposes of this Act, Authority to be called name of the area Industrial Development for any industrial development area.

(2) The Authority shall be a body corporate,

(3) The Authority shall consist of the following :--

(a) The Secretary to the Government, Uttar
Member- Pradesh, Industries Department or his nominee not
Chairman, below the rank of Joint Secretary-*ex officio* -

(b) The Secretary to the Government, Uttar
Member Pradesh, Public Works Department or his nominee

not
below the rank of Joint Secretary- officio -

(c) The Secretary to the Government, Uttar
Member Pradesh, Local Self-Government Department or his nominee not below the rank of Joint' Secretary- *ex officio* -

(d) The Secretary to the Government, Uttar
Member Pradesh, Finance Department or his nominee not below
the rank of Joint Secretary-*ex officio*----

(e) The Managing Director, U. P. State Industrial
Member Development Corporation-*ex officio* --

(f) Five members to be nominated by the State
Member Government by notification --

(g) Chief Executive Officer - Member- Secretary.

(4) The headquarters of the Authority shall be at such place as may be notified by the state Government.

(5) The procedure for the conduct of the meetings for the Authority shall be such as may be prescribed.

(6) No act or Proceedings of the Authority shall be invalid by reason of the existence of any vacancy in or defect in the constitution of the Authority.

Chief State Executive Officer

4. (1) The Chief Executive Officer of the Authority shall be appointed by the Government and he shall he a whole-time officer of the Authority.

(2) The Chief Executive Officer shall be entitled to receive from the funds of the Authority such salaries and allowances and be governed by such conditions of service as may be determined by general or special order of the State Government in this behalf,

(3) The Chief Executive Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified in the regulations or delegated to him by the Authority.

Staff of the authority

5. (1) Subject to such control and restrictions as may be determined by general or special orders of the State Government, the Authority may appoint such number of officers and employees as may be necessary for the performance of its functions, and' may determine their grades and designations.

(2) Subject as aforesaid the officers and employees of the Authority shall be entitled to receive from the funds of the Authority such salaries and allowances and shall be governed by such other conditions of service as may be, agreed upon with the Authority.

Function of the the Authority

6. (1) The object of the Authority shall be to secure the planned development of industrial development areas.

(2) Without prejudice to the generality of the objects of the Authority, the Authority shall perform the following functions :--

(a) to acquire land in the industrial development area, by agreement or through proceedings under the Land Acquisition Act, 1894 for the purpose of this Act ; .

(b) to prepare a plan for the development of the industrial development area ;

(c) to demarcate and develop sites for industrial, commercial and residential purposes according to the plan;

(d) to provide infrastructure for industrial, commercial and residential purposes ;

(e) to provide amenities ;

(f) to allocate and transfer either by way of sale or lease or otherwise plots of land for industrial, commercial or residential purposes ;

(g) to regulate the erection of buildings and setting up of industries; and

(h) to Jay down the purpose for which a particular site or plot of land shall be used, namely for industrial or commercial or residential purpose or any other specified purpose in such area.

[Power to authorize a person to provide infra-structure or amenities and collect tax or fee

6-A Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act and subject to such terms and conditions as may be specified in the regulations, the Authority may, by Agreement, authorize any person to provide or maintain or continue to provide or maintain any infrastructure or amenities under this Act and to collect taxes or fees, as the case may be, levied therefore.][1]

Authority power to the in respect of transfer of land

7. The Authority may sell, lease or otherwise transfer whether by auction, allotment, or otherwise, any land or building belonging to the Authority in the industrial development area on such terms and conditions as it may, subject to any rules that may be made under this Act think fit to impose.

Power to issue directions in respect of erection of building

8. (1) For the purposes of proper planning and development Or the industrial development area, the Authority may issue such direct ion as it may consider necessary, regarding --

(a) architectural features of the elevation or frontage of any building;

(b) the alignment of buildings on any site;

(c) the restrictions and conditions in regard to open spaces to be maintained in and around buildings and height and character of buildings;

(d) the number of residential buildings that may be erected on any site;

(e) regulation of erect ion of shops, workshops, warehouses factories or buildings ;

(f) maintenance of height and position of walls ; fences, hedges or any other structure or architecture constructions ;

(g) maintenance of amenities ;

(h) restriction of use of any site for a purpose other than that for which it has been allocated ;

(i) the mans to be provided for proper –

(1) drainage of waste water;

(2) disposal of industrial waste, and

(3) disposal of town refuse.

(2) Every transferee shall comply with the directions issued under sub-section (1) and shall as expeditiously as possible erect any building or

take such other steps as may be necessary to comply with such directions.

Ban on development erection of buildings in contravention State of regulation

9. (1) No person shall erect or occupy any building in the industrial area in contravention of any building regulation made under sub-section (2).

(2) The Authority may, by notification and with the prior approval of the Government make regulations to regulate the erection of buildings and such regulations may provide for all or any of the following matters, namely-

1. Added by section 2 of U.P. Act No. 2, 1999.

(a) the materials to be used for external and partition walls, roofs floors and other parts of a building and their position or location or the method of construction;

(b) lay-out plan of the building whether industrial, commercial or residential ;

(c) the height and slope of the roofs and floors of any building which is intended to be used for residential or cooking purposes ;

(d) the ventilation in, or the space to be left about any building or part thereof to secure circulation of air and for the prevention of fire;

(e) the number and height of the storey of any building;

(f) the means to be provided for the ingress and agress to and from any building ;

(g) the minimum dimension of rooms intended for use as living rooms and sleeping rooms and the provision of ventilation ;

(h) any other matter in furtherance of the proper regulation of erection, completion and occupation of buildings; and

(i) the certificates necessary and incidental to the submission of plans amended plans and completion re-ports.

Power to require proper maintenance of site or building

10. If it appears to the Authority that the conditions or use of any site or building is prejudicially affecting or is likely to affect the proper planning of or the amenities in any part of the industrial development are a or the interests of the general public there, it may serve on the transferee or occupier of that site or building a notice requiring him to take such steps and within such period as may be specified in the notice and thereafter to maintain it in such manner as may be specified therein and in case such transferee or occupier fails to take such steps or to maintain it thereafter the Authority may itself take such steps or maintain it, and realize the cost incurred on it from such transferee or occupier.

Levy such taxes

11. [(1) For the purposes of providing, maintaining or continuing any amenities in the industrial development area, the Authority may with the previous approval of the State Government, levy such taxes as it may consider necessary in respect of any site or building on the transferee or occupier thereof, provided that the total incidence of such tax shall not exceed one per cent of the market value of such site, including the site of the building.

Explanation-- For the purpose of this sub-section, the expression "market value" means, the amount of –

(a) consideration, in the case of sale; or

(b) premium, in the case of lease; or

(c) the minimum value determined in accordance with the rules made under the Indian Stamp Act, 1899, whichever is more][1]

(2) If the State Government considers it necessary or expedient in the public interest, it may, by a general or special order, exempt wholly or partly- any such transferee or occupier or any class thereof from the taxes levied under sub-section (1).

Applications 12. The provisions of Chapter VII and sections 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, of certain 47, 49, 50, 51, 53, and 58 of the Uttar Pradesh Urban Planning and provisions of Development Act, 1973, as re-enacted and modified by the Uttar Pradesh President's Act

President's Act (Re-enactment with Modifications) Act, 1974, shall *mutatis* XI of 1973 *mutandis* apply to the Authority with adaptation that --

(a) any reference to the aforesaid Act shall be deemed to be a reference to this Act ;

(b) any reference to the Authority constituted under the aforesaid Act shall be deemed to be a reference to the Authority constituted under this Act; and

(c) any reference to the Vice-Chairman of the Authority shall be deemed to be a reference to the Chief Executive Officer of the Authority.

Imposition of 13. Where any transferee makes any default in the payment of any consideration penalty and money or installment thereof or any other amount due on account of the mode of transfer of any site or building by the Authority or any rent due to the recovery of Authority in respect of any lease, or where any transferee or occupier makes arrears any default in the payment of any fee or tax levied under this Act, the Chief Executive Officer may direct that in addition to the amount of arrears; a further sum not exceeding that amount shall be recovered from the transferee or occupier, as the case may be, by way of penalty.

For feature for 14. thereof breach of case of conditions of regulations transfer (1) In the case of non-payment of consideration money or any installment on account of the transfer by the Authority of any site or building or in breach of any condition of such transfer or breach of any rules or

made under this Act, the Chief Executive Officer may resume the site or building so transferred and may further forfeit the whole or any part of the money, if any, paid in respect thereof.

(2) Where the Chief Executive Officer orders resumption of any site or building under sub-section (1) the Collector may, on his requisition, cause possession thereof to be delivered to him and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

1. Added by section 2 of U.P. Act No. 18, 1995.

Penalty 15. Any person who contravenes any provisions of this Act, or rules or regulations made thereunder or any directions issued under section 8, shall on conviction be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and in the case of a continuing offence with further fine which may extend to one hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.

Powers of 16. The Chief Executive Officer may authorize any person to enter into or open entry, etc any land or building with or without assistance, for the purposes of --

(a) making any inquiry, inspection, measurement or survey or taking levels of such land or building ;

(b) examining works under construction or of ascertaining the course of sewer or drains ;

(c) ascertaining whether any building is being or has been erected or re-erected without sanction or in contravention of any sanction given under this Act or the rules and regulations made thereunder and to take such measurements and do any such other acts as may be necessary for such purpose:

(d) doing any other thing necessary for the efficient administration of this Act :

Provided that-

(i) no such entry shall be made except between the hours of sunrise and sunset and without giving reasonable notice to the occupier, or if there be no occupier, to the owner of the land or building;

(ii) sufficient opportunity shall in every instance, be given to enable women, if any, to withdraw from such land or building;

(iii) due regard shall always be had, so far as may be compatible with the exigencies of the purpose for which the entry is made, to the social and religious usages of the occupants of the land or building entered.

Overriding 17. Upon any area being declared an industrial development area under the effect of the provisions of this Act, such area, if included in the master plan or the zonal Act development plan under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, or any other development plan under any other Uttar Pradesh Act, shall, with effect from the date of such declaration be deemed to be excluded from any such plan.

Power to make 18. The State Government may by notification, make rules for carrying out the rules purposes of this Act.

[The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976] [Section 19]

Power to make 19. (1) The Authority may with the previous approval of the State Government, make regulations regulation not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder for the administration of the affairs of the Authority.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulation may provide for all or any of the following matters; namely-

(a) the summoning and holding of meetings of the Authority, the time and place where such meetings are to be held, the conducts of business at such meetings, and the number of members necessary to form a quorum thereat ;

(b) the powers and duties of the Chief Executive Officer;

(c) the form of register of application for permission to erect a building;

(d) the management of properties of the Authority;

(e) fees to be levied in the discharge of its functions ;

(f) such other matters as are to be provided for in regulation.